न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

अपील/04/2021

दिनेश आयु 40 साल पुत्र तुलाराम जाति ब्राहमण निवासी कामा बाई पास रोड मोरी मौहल्ला डीग, थाना डीग जिला भरतपुर राज0

....अपीलार्थी0

बनाम

1–तुलाराम आयु 73 साल पुत्र नत्थीराम
2–श्रीमती रामवती आयु 70 साल पत्नी तुलाराम,जातियान ब्राहमण निवासी कांमा बाई पास रोड, मोरी मौहल्ला डीग थाना डीग जिला भरतपुर राज0

..... रेस्पो.

अपील अंतर्गत धारा 16 वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरुद्ध आदेश तारीखी 21.1.2021.

उपस्थितः–

1– श्री राधेश्याम जादौन अभिभाषक अपीलान्ट,
2– श्री दीपकशर्मा अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय दिनांक 24.5.2022

अपीलार्थी ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर आदेश दिनांक 21.01.2021 के पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 21.01.2021 में आदेश दिया है कि अप्रार्थी 1 व 2 दोनों अपनी अपनी ओर से प्रार्थी (माता पिता) को भरण पोषण हेतु राशि 2500/– 2500/– रुपये प्रार्थी के बचत बैंक खाता में जमा करावें। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2021 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अपीलान्ट वकील उपस्थित, उभय पक्ष को सुना गया। योग्य अभिभाषक रेस्पो.को लिखित बहस पेश करने को कहा गया।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि तहत न्यायालय ने अपीलार्थी एवं उसके भाई गुडडू पुत्रान तुलाराम, दोनों भाईयों को 2500/– प्रत्येक से भरण पोषण राशि जमा कराने के गलत आदेश दिये हैं, तहत न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व कोई जांच नहीं की अपीलार्थी के आय के बारे में कोई तथ्य रिकार्ड पर नहीं लिया कि अपीलार्थी भरण पोषण राशि जमा कराने लायक है भी या नहीं। उनका कहना है कि अप्रार्थीगण ने अपना समस्त जेबरात सोना चांदी व अन्य नगदी अपने पुत्र प्रार्थी संख्या –2 गुडडू को दे दिये हैं तथा उसके लिये पृथक से मकान बनवाकर दिया हुआ है, जिसमें अप्रार्थीगण पुत्र गुडडू के साथ रहते हैं। रेस्पो को वृद्धावस्था पेंशन के 1500–1500 कुल 3000/– रुपये मिलते हैं। रेस्पो. के पास ग्रांम सांचौली तहसील छाता जिला मथुरा में तीन बीघा कृषि भूमि है जिसे बेच कर राशि भाई गुडडू को दे देना चाहते हैं। प्रार्थी अपीलान्ट के पास आय का कोई साधन नहीं है, अपीलान्ट मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

है परिवार में पत्नी एवं चार जवान पुत्रियां है सभी विवाह योग्य हैं व एक पुत्र हैं, अपीलार्थी की इतनी आय नहीं हो पाती है जिससे वह माता पिता के लिये तैय भरण पोषण राशि अदा कर सके। उन्होने अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

योग्य अभिभाषक की ओर लिखित बहस पेश नहीं की गई है।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2021 का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश में माता पिता को भरण पोषण राशि 2500/– 2500/– के बैंक खाते में जमा कराने के लिये दोनों पुत्र दिनेश एवं गुडडू को दियें हैं। उक्त आदेश के खिलाफ एक पुत्र दिनेश ने अपील पेश कर इस पर आपत्ति की है, अपीलान्ट का कहना है कि वह मजदूरी करता है परिवार में पत्नी एवं चार जवान पुत्रियां है सभी विवाह योग्य हैं व एक पुत्र हैं, अपीलार्थी की इतनी आय नहीं हो पाती है जिस से वह माता पिता के लिये तैय भरण पोषण राशि अदा कर सके। योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने इस बाबत कोई विरोध प्रस्तुत नहीं किया है और नाहीं अपीलान्ट ने अपने मौखिक कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश किया है। बुढापे में वृद्ध माता पिता की सेवा सुश्राषा पुत्रों द्वारा नहीं किये जाने के कारण ही वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 लागू किया गया है। प्रत्येक पुत्र का कर्त्तव्य है कि बुढापे वृद्धावस्था में अपने माता पिता की सेवा सुश्राषा करे उनके भरण पोषण का ख्याल रखे। अपीलान्ट की पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपील आंशिक स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से निम्न प्रकार स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट अपने परिवार की परिस्थित बताकर माता पिता के भरण पोषण के अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है, दोनों पुत्रों का दायित्व है कि वे अपने परिवार के साथ अपने बुढे मॉ बाप की सेवा सुश्रा (भरण पोषण) करे। उपखण्ड अधिकारी डीग के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशानुसार में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है कि अपीलान्ट दिनेश 1500/– रुपये एवं गुडडू पुत्र तुलाराम 2500/– प्रति माह रेस्पो को अदा करेगें। आदेश की प्रति पक्षकारान को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय प्रति के साथ तहत पत्राावली वापिस उपखण्ड अधिकारी डीग को पालनार्थ लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.5.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,भरतपुर